

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 992

दिनांक:- 01-07-2025

आदेश संख्या :- 341/2025-26

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित श्री मनीष कुमार मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा, परीवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 785215), हाल पदस्थापित कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, बूंदी को विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 211/2024-25 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोषालय, बूंदी में नियुक्त किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या 02 पर उल्लेखित है कि “राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।”

श्री मीणा द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित किया गया है कि “मेरा चरित्र उत्तम है और मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दोष सिद्ध अपराध नहीं है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित है/पुलिस में अनुसंधानरत है। यदि उक्त सूचनाएँ किसी तरह से पुलिस सत्यापन में असत्य पायी जावे तो प्रार्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति बिना शर्त/नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा असत्य कथन प्रस्तुत करने के लिये विभाग भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।”

विभाग द्वारा श्री मीणा का नियुक्ति उपरान्त सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर राज्य विशेष शाखा जयपुर के पत्र क्रमांक M-119/6216 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री मीणा के विरुद्ध पुलिस थाना-देई जिला बूंदी में मुकदमा नं. 75/2015 धारा 279,337,338 आईपीसी व 134/107, 3/181, 5/180 एमवी एक्ट व चार्जशीट नं. 59 दिनांक 31.03.2015 थाना सांगानेर सदर, जिला जयपुर में दर्ज है। श्री शर्मा द्वारा कार्यग्रहण के समय उक्त तथ्यों को छुपाते हुए कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया गया।

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 के उपबिन्दु संख्या (V) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्बलित अभ्यर्थी राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र है।

अतः श्री मीणा के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के आधार पर कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019, विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 211/2024-25 दिनांक 11.01.2025 के कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति की शर्तों के बिन्दु संख्या 02 एवं श्री मीणा द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण के समय झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर तथ्य छुपाये जाने के आधारों पर श्री मनीष कुमार मीणा को तुरन्त प्रभाव से राजकीय सेवा से पदच्युत किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 992

दिनांक:- 01-07-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
7. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
8. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग।
9. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)